ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

ग्रामीण विकास में शिक्षा की भूमिका

Role Of Education in Rural Development

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 25/10/2020, Date of Publication: 26/10/2020

सरिता कुमारी
पूर्व शोधार्थी,
समाज शास्त्र विभाग,
बी. आर. ए. बी. यू.
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

शिक्षा राष्ट्र विकास का आधार स्तंभ है। कोई भी राष्ट्र या समाज बीना शिक्षा के विकसित नहीं हो सकता। भारत गांवों का देश है और गांवों के विकास के बीना भारत विकसित नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा न केवल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करती है बल्कि लोगों में नई सोच एवं दिशा प्रदान करने में भी सराहनीय योगदान दे रही है जिससे ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है।

ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अहम भूमिका निभाई है क्योंकि सरकारी प्रयासों के बीना ग्रामीण शिक्षा के विकास की गति धीमी हो जाएगी। सरकार ने ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई है, परन्तु आज भी इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है चूकिं शिक्षा के अभाव में उन्हें इसके विषय में पूर्ण और सही जानकारी नहीं है। जैसे– जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है वैसे–वैसे लोगों की योजनाओं के प्रति जागरूकता मे रूचि बढ़ी है।

ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मॉडल स्कूलों की परिकल्पना, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क इत्यादि योजनाएं बनाई है।

ग्रामीण शिक्षा के विकास के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि, गरीबी भुखमरी एवं भ्रष्टाचार से कुछ हद तक मुकाबला किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही बालिकाओं में सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती है।

शिक्षा का महत्त्व ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में समान रूप से है चूकिं शिक्षा मानव गरिमा के साथ– साथ मानवाधिकार, स्वतंत्रता तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा में सहायक है। परन्तु ग्रामीण संदर्भ में शिक्षा की उपादेयता इस दृष्टि से अधिक है कि आज भी भारत की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करती है। गांवों की खुशहाली में ही भारत की खुशहाली और प्रगति निहित है।

Education is the cornerstone of nation development. No nation or society can develop without education. India is a country of villages and India cannot develop without the development of villages. Education has an important role in this area. Education not only helps in providing employment to the people but is also making a commendable contribution in providing new thinking and direction to the people, which has led to better standard of living of rural families.

The government has played an important role in the field of rural education as the pace of development of rural education will slow down without government efforts. The government has made several schemes to promote rural education, but even today, the benefits of these schemes are not reaching the villagers as they do not have complete and correct information about it due to lack of education. As the level of education has increased, the awareness of people's plans has increased.

To promote rural education, the government has formulated schemes like Right to Education, National Literacy Mission, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme, Model School Vision, Sarva Shiksha Abhiyan, National Vocational Education Qualification Framework etc.

Population growth, poverty, starvation and corruption can be combated to some extent through the development of rural education. It is only through education that girls can develop the right attitude, right thought and right decision making ability.

The importance of education is equally in rural and urban areas as education helps protect human dignity as well as human rights, freedom and social values. But the availability of education in rural context is more than such that even today 68.84 percent of the total population of India lives in villages. The prosperity and progress of India lies in the prosperity of the villages.

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, शिक्षा का महत्त्व ।
Importance of Rural Development, Education.

प्रस्तावना

शिक्षा के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात् पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2002 में 86 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया।

ग्रामीण बालिकाएं पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से शिक्षा के आलोक से वंचित रह जाती हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1979–80 में ''अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम''प्रारम्भ किया गया ताकि उन बच्चों को साक्षरता की दौड़ में समावेशित किया जा सके जो पारिवारिक ,आर्थिक या विद्यालय की सुविद्या उपलब्ध नहीं होने की वजह से विद्यालय नहीं जा पाए। इसी योजना को विस्तारित करके सर्वशिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा है।

विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम ''राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'' का शुभारम्भ वर्ष 1988 के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गॉधी ने किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु के व्यक्तियों में निरक्षता के कलंक को मिटाकर शिक्षित समाज निर्माण की परिकल्पना को साकार करना है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में अपेक्षित बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

देश में साक्षरता की रोशनी फैलाने हेतु वर्ष 2001 में सर्वशिक्षा अभियान का शुभारम्भ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यतौर पर ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की गई। इस अभियान के तहत आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें तथा अधिक आयु वाली बालिकाओं के लिए '' सेतु पाठ्यक्रम'' की व्यवस्था की गई ताकि अधिकाधिक ग्रामीण बालिकाएं शिक्षा की राह पर अग्रसर होकर विकास की मुख्यधारा में समावेशित हो सके।

ग्रामीण बालिकाओं को उच्चतर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2004 में कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना (केजीबीबी) का सूत्रपात किया गया।

देश को पूर्ण साक्षर देश के रूप में परिवर्त्तित करने हेतु सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व प्रभावशाली योजना '' मध्याह्न भोजन योजना'' है जो कि विश्व का सबसे बड़ा योजना है इस योजना का मूलभूत उद्देश्य बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति व ठहराव को बढ़ाना है ताकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को हासिल किया जा सके।

अप्रैल 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून सरकार की समावेशी विकास की नीति का एक अहम हिस्सा है। इस कानून में 'मुफ्त और अनिवार्य' शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं जितनी पढ़ाई का खर्च स्कूल को सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। इस कानून के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के स्कूल में दाखिले और उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था के अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे नियमित तौर पर विद्यालय जाएं और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे।

आजादी के छह दशक बाद भारत के गांवों की तस्वीर काफी हद तक बदली है। नए शैक्षिक संस्थान खुले हैं, लेकिन अभी उच्च शिक्षा के मामले में भारत के गांवों की स्थिती काफी खराब है। इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से हर बार के बजट में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई नई पहल की जाती है। सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को शहरी तर्ज पर विकसित किया जाए।

वर्ष 2012–13 का बजट पेश करते हुए तात्कालीन वित्तमंत्री ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्कृष्टता के प्रतीक के तौर पर मॉडल स्कूलों के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूलों की स्थापना की बात कही। इसी तरह वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 3124 करोड़ रूपये आबंटित किए गए। सरकार की ओर से लगातार किए गए प्रयास की वजह से साक्षरता दर साल–दर–साल बढ़ती जा रही है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट देखें तो देश में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी। इसमें 75.26 फीसदी पुरूषों की और 53.67 फीसदी महिलाओं की रही। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना का ग्राफ देखे तो साक्षरता दर में करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें ज्यादा बढ़ोतरी ग्रामीण इलाके में हुई है। 2011 के आंकड़े देखे तो भारत में पुरूषों की साक्षरता दर 6.88 प्रतिशत तो महिलाओं में 11.79 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है।

केन्द्र सरकार की ओर से ग्रामीण इलाके की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही अध्यापकों की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार ने 12 वी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 8308.45 करोड़ रूपये व्यय करने की व्यवस्था की। इसमें केन्द्र 75 एवं राज्य 25 फीसदी व्यय करेगा। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बहुल 196 चिन्हित जिलों में प्रारंभिक सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा संस्थानों के रूप में ब्लॉक स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थान की स्थापना किया जाना था।

ग्रामीण शिक्षा व्यवस्या को चुस्त और दुरूस्त बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार की ओर से मॉडल स्कूल योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गांवों के प्रतिभाशाली बच्चों को मॉडल स्कूलों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। इस योजना के तहत देश के हर विकास खंड में एक मॉडल स्कूल खोला जा रहा है। 12 वीं योजना में मॉडल स्कूलों के रूप में ब्लॉक स्तर पर छह हजार स्कूलों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों में मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने की भी योजना बनाई थी। इसके तहत 374 जिलों को चिन्हित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ग्रामीण छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षित

करने के लिए योजना तैयार की गई है। आमतौर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तक छात्रों की संख्या काफी रहती है, लेकिन उच्च स्तर पर यह संख्या कम होने लगती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क प्रक्रिया विकसित की जा रही है। इस फ्रेमवर्क से प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मानदंडो में एकरूपता आएगी। इस फ्रेमवर्क के मानदंड माध्यमिक और उच्च्तर माध्यमिक स्कूलों, पॉलीटेकनीक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू किए जा रहे हैं।

देश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त हैं। इन गांवों में शिक्षा का स्तर भी काफी नीचे है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था का ग्राफ भी प्रभावित होता है। केन्द्र सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए खास कार्ययोजना तैयार की गई ताकि नक्सल– प्रभावित इलाकों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। वर्ष 2011–12 के दौरान नक्सल प्रभावित इलाके में 244 नए प्राथमिक विद्यालयों को मंजूरी दी गई। इसी तरह 280 नए अपर प्राथमिक विद्यालयों को मंजूरी देने के साथ ही 20369 नए शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई। इसी तरह इन इलाके में स्थित विद्यालयों में 1275 शौचालय व 21011 अलग से कन्या शौचालयों का निर्माण कराया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति का अध्ययन
2. शिक्षा का अधिकार कानून का आकलन करना
3. क्या सरकारी योजनाओं से ग्रामीण शिक्षा विकसित हुई है?
4. क्या शिक्षा के विकास से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है?
5. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर का पता लगाना।
6. क्या ग्रामीण भारत में शिक्षा के प्रयास से लोगो के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है।
7. ग्रामीण बालिका शिक्षा की स्थिति का जायजा लेना।

निष्कर्ष

ग्राम विकास की अवधारणा शिक्षा के प्रसार के बीना अधूरी है। किसी भी समाज या देश के विकास के बुनियादी मानदंडों में शिक्षा अथवा साक्षरता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा नैतिक विकास के साथ– साथ भौतिक व आर्थिक प्रगति में भी मददगार होती है। भारत में शिक्षा का प्रसार शहरों की अपेक्षा गांवों में धीमा है। जिससे ग्रामीण भारत का विकास अपेक्षित रूप से नहीं हो सका।

सरकारों ने विभिन्न योजनाएं जैसे आदर्श विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील जैसे विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने और बच्चों को पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है।

परंतु केवल कानून बनाने और सरकारी योजनाएं बनाकर इतने बड़े देश के गांवों में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस बात को समझते हुए अनेक स्व्यंसेवी संस्थाएँ और व्यक्ति ज्ञान की लौ जलाने के लिए आगे आ रहे है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिन में युवा तथा अनुभवी बुजुर्ग लोगों ने शहरों की चकाचौध से दूर गांवों में रहने वाले निर्धन, वंचित और उपेक्षित परिवारो के बच्चों को शिक्षा का उपहार देकर उन्हे विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का अनुकरणीय काम किया है ये महिलाएं और पुरूष ग्रामीण भारत में शिक्षा प्रसार के दीप स्तभ की भूमिका निभा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, सितंबर 2013, पृष्ठ–18–20*
2. *योजना, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, अक्टूबर 2018, पृष्ठ–25–28*
3. *केन्द्रीय बजट 2012–13, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार।*
4. *कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, सितंबर 2012, पृष्ठ–28–31*
5. *नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ इम्प्लॉयड वूमेन, श्रम शक्ति रिपोर्ट, नई दिल्ली 1988*
6. *आर्थिक समीक्षा 2014–15 वित्तमंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, पृष्ठ–142–143*
7. *शर्मा, विनयः पंचायती राज, रजत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012*